शैक्षिक समाचार
राजस्थान

Email

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/विधि/बी–3/विविध/18 दिनांक–18/7/18

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
2. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
3. उपनिदेशक(समस्त)
   माध्यमिक शिक्षा,
4. जिला शिक्षा अधिकारी,(समस्त)
   माध्यमिक शिक्षा,

विषयः– यात्रा भत्ता एवं योगकाल देयता से संबंधित स्थानान्तरण प्रकरणो में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णयो के क्रम में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेशो को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नही दिए जाने के आधार पर अपील अधिकरण के समक्ष अपीले दायर कर प्रश्नगत किये जाने पर माननीय अधिकरण द्वारा कई प्रकरणो मे विभागीय आदेशो के स्थगित किया जाकर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए है तथा सक्षम प्राधिकारी को नवीन आदेश पारित कर प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं जनहित में अपीलार्थी को नियमानुसार स्थानान्तरण /पदस्थापित करने की स्वतंत्रता दी गयी है । कई प्रकरणो में माननीय अधिकरण द्वारा अपील को अंतिम रूप से निस्तारित कर स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया गया है तथा प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं जनहित में स्थानान्तरण/पदस्थापन की स्वतंत्रता दी गई है ।

इस प्रकार की अपीलो में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णयो/अंतरिम आदेशो की पालना में तत्काल कार्यवाही कर स्थानान्तरण संबंधी आदेश को निरस्त किया जावे । इसके पश्चात पृथक आदेश से प्रशासनिक आवश्यकता /जनहित /छात्र हित में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता स्वीकृत कर कार्मिक का पुनः स्थानान्तरण कर अन्यत्र पदस्थापन करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे । निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे ।

(नथमल डिडेल IAS)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः

1. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–विधि जयपुर/जोधपुर को सूचनार्थ ।

संयुक्त विधि परामर्शी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय का पता– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दूरभाष :– 2522286 e-mail- dir.dse@rajasthan.gov.in. fax- 0151-2201861
E:\Jodhpur-Decision Group\...\Abhiprerahan-Mandka 2017 MARCH (doc) (Repaired).docx

पदस्थापन पर यात्रा व दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

बीकानेर. काउंसलिंग के दौरान शिक्षा विभाग के कार्मिक का पदस्थापन से मुख्यालय परिवर्तन होने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व कार्यग्रहण काल नहीं मिलेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्थानान्तरण होने पर मुख्यालय परिवर्तन पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल होता है तथा काउंसलिंग के दौरान रिक्त प्रदर्शित किए गए पदों पर कार्मिक को इच्छित पद पर चयन का विकल्प खुला रहता है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, झुझुनूं

दूरभाष – 01592 – 232616 व E mail Id :- deosecondaryjjn@gmail.com

क्रमांकः– जिशिअ / मा / झुं0 / संस्था–1 / 2018 / 4242 दिनांकः– 12-03-2018

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक

रामावि / राउमावि (बालक / बालिका)

छोटीबास खुर्द, सैनपुरा, मेहाडा जाटूवास, ढाणा बास, ओजटू, बगड़, डूमरा खुर्द, अलिपुर नगर

जिला झुंझुनूं बादल विरपुरा

विषय–काउसंलिंग के माध्यम से मुख्यालय परिर्वतन पर योगकाल के आवेदन को लौटाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः–F.7(3)FD (Rules)/98 जयपुर दिनांकः–02.08.2005 के अनुसार राज्य हित (Public Interest) में स्थानान्तरण होने पर मुख्यालय परिर्वतन पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय है।

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के पत्र कमांकः–शिविरा / माध्य / स्थिरी–अनु / 34814 / 2017 दिनांकः–05.03.2018 के अनुसार काउसंलिंग के दौरान रिक्त प्रदर्शित किये गये पदों पर कार्मिक को ईच्छित पद पर चयन का विकल्प खुला रहता है। काउसंलिंग के दौरान पदस्थापन का मुख्यालय परिर्वतन राज्य हित में एवं प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जाकर कार्मिक के द्वारा पदस्थापन स्थान के चयन के आधार पर पदस्थापन किया जाता है। काउंसलिंग के द्वौरान आपके पदस्थापन स्थान का मुख्यालय परिर्वतन होने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहणकाल (योगकाल) देय नही है।

अतः आपके द्वारा कार्यग्रहणकाल (योगकाल) के एवज में सेवापुस्तिका में उपार्जित अवकाश के आवेदित आवेदन को निरस्त कर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में भी उक्तानुसानर पालना सुनिश्चित करे।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, झुझुनूं

क्रमांकः– जिशिअ / मा / झुं0 / संस्था–1 / 2018 / 4243 दिनांकः– 12-03-2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. नाडल प्रभारी अधिकारी (प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक) को भेज कर लेख है उक्तानुसार से आपके अधिनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान को सूचित करना सुनिश्चित करे।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, झुझुनूं

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, भरतपुर

क्रमांकः–जिशिअ / मा / भरत / संस्था–1 / फा–विविध / 2017–18 / 1133 दिनांक– 19/1/18

प्रधानाचार्य / प्र॰ अ॰
राजकीय उच्च माध्यमिक
विद्यालय ....(समस्त)

विषयः– अधिकारी / कर्मचारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन पद पर कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता दिये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ संस्था प्रधानों द्वारा काउन्सलिंग के माध्यम से कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता नहीं दिये जाने की शिकायतें अधोहस्ताक्षकर्ता को प्राप्त होती हैं। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा / मा / संस्था / सी–6 / सू0आ0 / 2015 दिनांक 1.5.2017 एवं शिविरा–माध्य / पेंशन–अ / 34928 / 09 दिनांक 11.1.2017 के अनुसार विभागीय हित / प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थान परिवर्तन पर नियमानुसार यात्रा भत्ता / योगकाल देय होता हैं।

अतः इस कार्यालय के अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय के उक्त पत्र द्वारा जारी निर्देशों की पालना कठोरता से की जावे तथा ध्यान रखा जावे कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में नहीं आवें।

(रामकेश मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम, भरतपुर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/वित्त–अनु/34814/2017 दिनांक: 05.03.2018

समस्त उपनिदेशक माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा

विषय:– काउंसलिंग के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र पदस्थापन होने पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिये जाने के सम्बन्ध में

प्रसंग :– राज्य सरकार का आदेश क्रमांक: F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005 के अनुसार राज्य हित (Public Interest) में स्थानान्तरण होने पर मुख्यालय परिवर्तन पर यात्र भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय है । काउंसलिंग के दौरान रिक्त प्रदर्शित किये गये पदों पर कार्मिक को ईच्छि पद पर चयन का विकल्प खुला रहता है । काउंसलिंग के दौरान पदस्थापन का मुख्यालय परिवर्तन राज्य हि में एवं प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जाकर कार्मिक के द्वारा पदस्थापन स्थान के चयन के आधार प पदस्थापन किया जाता है ।

अतः काउंसलिंग के दौरान कार्मिक का पदस्थापन स्थान का मुख्यालय परिवर्तन होने पर किसी प्रक का यात्रा भत्ता व कार्यग्रहणकाल देय नहीं है । अधीनस्थ कार्यालयों व शाला प्रधानों को इस सम्बन्ध में अवग कराते हुए अनावश्यक पत्राचार नहीं करने के लिये पाबन्द करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा / माध्य / स्थिरी–अनु / 34814 / 2017 दिनांक: 05.03.2018

समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा

विषय:– काउंसलिंग के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र पदस्थापन होने पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिये जाने के सम्बन्ध में

प्रसंग :– राज्य सरकार का आदेश क्रमांक: F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005 के अनुसार राज्य हित (Public Interest) में स्थानान्तरण होने पर मुख्यालय परिवर्तन पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय है । काउंसलिंग के दौरान रिक्त प्रदर्शित किये गये पदों पर कार्मिक को ईच्छित पद पर चयन का विकल्प खुला रहता है । काउंसलिंग के दौरान पदस्थापन का मुख्यालय परिवर्तन राज्य हित में एवं प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जाकर कार्मिक के द्वारा पदस्थापन स्थान के चयन के आधार पर पदस्थापन किया जाता है ।

अतः काउंसलिंग के दौरान कार्मिक का पदस्थापन स्थान का मुख्यालय परिवर्तन होने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व कार्यग्रहणकाल देय नहीं है । अधीनस्थ कार्यालयो व शाला प्रधानों को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अनावश्यक पत्राचार नहीं करने के लिये पाबन्द करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– निसंशि/संस्था–2(क,ख)/स्थानान्तरण/2016/ 2515-20 दिनांक :– 3/2/2017

:: संशोधित आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 37892–905 दिनांक 20.10.2016, 38429–68 दिनांक 20.10.2016, 38396–420 दिनांक 20.10.2016, 39789–91 दिनांक 22.10.2016, 39794–96 दिनांक 22.10.2016, 39797–99 दिनांक 22.10.2016, एवं 40646–671 दिनांक 25.10.2016 द्वारा प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका/प्राध्यापकों/प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय के स्थानान्तरण किये गये थे। उपर्युक्त आदेशों में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की आज्ञा क्रमांक प.प्रसु/सम/अनु–1/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 13.12.2016 के क्रम में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलौच्य आदेशों में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1981 नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञय होगा।
2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नही किये जाने वाले स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रकरणों में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के संबध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या **F.7 (3) FD (Rules)/ 98 dated 2.8.2005& F.12(6)FD (Rules) /05 dated 21.08.2007** के अनुसार देय होगा।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

d/AMEEM KHAN/2016/ YOGYATA-

शैक्षिक समाचार राजस्थान

78% 3:12 p.m.

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

प.6(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट   जयपुर, दिनांक 13-12-2016

आदेश

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 03 सितम्बर, 2016 द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन में कार्य ग्रहण अवधि (Joining Time) देय नहीं होगी के संदर्भ में पूर्व प्रसारित आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलोच्य आदेशों में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1981 नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञेय होगा।

2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नहीं किये जाने वाले स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रकरणों में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं

राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7(3)FD(Rules)/98 dated 2.8.2005 & F. 12(6)FD(Rules)/05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा ।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

[illegible] वितरण

शैक्षिक समाचार राजस्थान

GAD

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / पेंशन–अ / 34928 / 09 / दिनांक 11.01.2017

: : परिपत्र : :

विषय :– अधिकारी / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जानें के सम्बन्ध में ।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 द्वारा राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियो के स्थानान्तरण / पदस्थापन में कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) देय नहीं होगी, के संदर्भ में पूर्व प्रसारित आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलोच्य आदेशो में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम–1981 नियम 4 (1) के प्रावधानो के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञेय होगा।
2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नहीं किये जाने वाले स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रकरणो में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम–1971 के प्रावधानो के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7 (3) FD (Rules)/98 Dated 02.08.2005 & F.12 (6) FD (Rules)/05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / पेंशन–अ / 34928 / 09 / दिनांक 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक शिक्षा ।
3. अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारियों को ई–मेल सुनिश्चित करें।
4. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन "ए–बी" / सी / एफ / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5. अनुभाग अधिकारी, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशन हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / मा / संस्था / सी–6 / रा.वि. / सू0अ0 / 2015 दिनांकः– 1 / 05 / 2017
(रजिस्टर्ड)

श्री महावीर सिंह
सुपुत्र श्री शेरसिंह
55 मीना भवन, सहयोग नगर
शिवा टाकीज के पीछे
भरतपुर 321001

विषयः–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाही गई सूचना भिजवाने के कम नें ।
प्रसंगः–आपका आवेदन पत्र दिनॉक 16.04.17 के क्रम में ।

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र द्वारा आपने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्याख्याता स्कूल शिक्षा राजनीति विज्ञान में डीपीसी चयनोंपरान्त पदस्थापन में योगकाल एवं यात्रा भत्ता देयता के बारे सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा है । उक्त सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि विभागीय हित / प्रशासनिक आधार पर में किया गया स्थान परिवर्तन पर नियमानुसार यात्रा भत्ता / योगकाल देय होता है । आप विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थी है इसलिये आपको योगकाल / यात्रा भत्ता देय होगा ।
संलग्न– उपरोक्तानुसार ।

सहायक निदेशक(सी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि –
अनुभाग अधिकारी, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा के अ0टि0 क्रमांक शिविरा–मा / सूअप्र भरतपुर / महावीर सिंह / 4 / 17–18 दिनांक 24.04.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है ।

सहायक निदेशक(सी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान